राजस्व लोक अदालत ''न्याय आपके द्वार'' कैम्प 2015 ग्राम पंचायत लाखागुडा
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :– ग्राम पंचायत लाखागुडा

प्रकरण सं. – 65/2012 प्रा.प.

निर्णय दिनांक – 12 जून,2015

1. श्री नारायणसिंह पिता सुगनसिंह जाति रावत निवासी नाबरी लाखागुडा तहसील भीम
2. श्रीमति गटुदेवी पत्नि सुगनसिंह जाति रावत निवासी नाबरी लाखागुडा तहसील भीम

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री लक्ष्मणसिंह पिता रोडसिंह जाति रावत निवासी नाबरी लाखागुडा तहसील भीम
2. श्री भवरसिंह पिता रोडसिंह जाति रावत निवासी नाबरी लाखागुडा तहसील भीम
3. श्री पुनमसिंह पिता करमसिंह जाति रावत निवासी नाबरी लाखागुडा तहसील भीम
4. श्री देवीसिंह पिता उदयसिंह जाति रावत निवासी नाबरी लाखागुडा तहसील भीम
5. श्री वरदसिह पुत्र खीमसिंह जाति रावत निवासी नाबरी लाखागुडा तहसील भीम

अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. लेण्ड रेवेन्यु एक्ट
वास्ते कराये जाने पक्की पत्थरगढी

उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थीगणो का निम्न प्रकार प्रार्थना पत्र है कि मौजा नाबरी पटवार मण्डल लाखागुडा तहसील भीम निम्न विवरण वाली आराजियात प्रार्थीगण के खाते कब्जे तथा स्वामित्व व अधिपत्य की होकर व उस पर पिढियो से काबिज काश्त करते कराते आ रहे है।

खसरा नम्बर	रकबा			किस्म
	बीघा	विस्वा	विस्वांसी	
1480	03	04	00	बारानी 2
1481	03	17	00	चाही 1
1483	01	07	00	बारानी 2
1484	01	07	00	बारानी 1
1486	09	16	00	बारानी 2
कुल किता 5 रकबा 19 बीघा 11 विस्वा				

यह कि उक्त भुमि के चारो और के सीमा चिन्हो के मिट जाने के कारण फसल बोते काटने समय अवसर वाद विवाद होता रहता है तथा प्रार्थीगणो को काफी समस्याओ का सामना करना पडता रहता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से लगायत 5 जमीन के चारो और पडोसी होने के कारण प्रतिवादीगण बनाया गया है। मौके पर वाद विवाद न हो सुविधा का संतुलन बना रहे उक्त वर्णित आराजियात की सम्पुर्ण भुमि पत्थरगढी कराना चाहता हुँ। अतः भविष्य मे किसी प्रकार की परेशानी नही हो। विपक्षीगण अप्रार्थीयो को कई बार फसल के बोते एवं काटते समय समझाया परन्तु नही मान रहे है। अन्तिम बार कहने के उपरान्त भी विपक्षीगण लडाई झगडे पर उतारू है। अतः उक्त आराजियात की आई जमीन की सुरक्षा हेतु पत्थर गढी कराना आवश्यक है। अतः पत्थरगढी कराई जाने के आदेश प्रदान कराने का श्रम करावे।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015 कैम्प लाखागुडा में उपरोक्त वर्णित आराजी के दोनो पक्षो की उपस्थिति में पत्थरगढी कराये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार भीम को लिखा जावे कि प्रार्थी से नियमानुसार शुल्क जमा करा उक्त विवादित भूमि की पत्थरगढी करावें। निर्णय आज दिनांक 12.06.2015 को कैम्प लाखागुडा में लिखा जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर
भीम जिला राजसमन्द

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी भीम
जिला - राजसमन्द

Scanned by CamScanner